न्यायालय श्री मान् पीठासीन अधिकारी महो0 राजस्व मंण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा म.प्र.

निगरानी 977-III-15

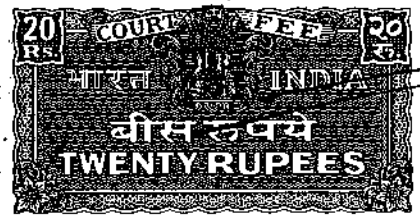

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 20/-

81
25.5.15

रामकरण शर्मा तनय स्व0 अवधशरण ब्रा0 निवासी ग्राम नदना, तहसील मनगवॉ, जिला रीवा (म0प्र0) ———————————————— निगरानीककर्ता

बनाम

1– श्रीमती गीता दुबे पत्नी कुजबिहारी दुबे

2– मुस0 छोहगरिया पत्नी स्व0 गैवीनाथ ब्रा0

3– उर्मिला प्रसाद चतुर्वेदी तनय स्व0 अवधशरण ब्रा0

सभी निवासी ग्राम नदना, तहसील मनगवॉ, जिला रीवा (म0प्र0)– गैरनिगरानीकर्तागण

श्री सी.बी. शर्मा एड के द्वारा आज दिनांक 25.5.15 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
राजस्व बोर्ड रीवा

निगरानी विरुद्व आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्र0क0– 202/अ–6/2010–11 मे पारित आदेश दिनांक 30–01–2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1)म0प्र0भू0रा0सं0

क्रमांक 4990 मान्यवर, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 10-4-15 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

यह कि गैर निगरानीकर्ता क0–1 की ओर से तहसील न्यायालय मे नामान्तरण का प्रकरण कमांक 18/ए–6/2009–10 तहसील मनगवॉ मे प्रचलित था जो दिनांक 09–07–2010 को उनके व उनके अधिवक्ता महोदय की अनुपस्थित के कारण अदम पैरवी मे खारिज हो गया था किन्तु लगभग 4 माह बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27–11–2010 को बिना किसी पक्षकार को सम्मन, सूचना दिये ही मनमाने तौर पर ब्रिना किसी को सुने एकपक्षीय रुप से दिनांक 09–07–2010 के अदम पैरवी सम्बन्धी आदेश को दिनांक 27–11–2010 को निरस्त करने का आदेश तहसीलदार मनगवॉ द्वारा पारित कर दिया गया, जो आदेश विचारण न्यायालय द्वारा विधि व प्रकिया का दुरुपयोग करते हुए समस्त प्रावधानों को ताक पर रखकर पारित किया गया था।

रामकरण

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 977/III/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.2.2016.	यह निगरानी प्रकरण अपर कले० रीवा के प्र०क्र० 202/अ-6/10-11 में पारित आदेश दिनांक 30-1-15 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधि० श्री सी०के० शर्मा की ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किये गये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं, जिन्हें यहां दुहराया न जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के अनुक्रम में आक्षेपित आदेश दिनांक 30-1-15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि तह० द्वारा अना० क्र०की अनुपस्थिति के कारण प्र०क्र० 18/अ-6-अ/09-10 को आदेश दिनांक 9-7-10 से अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अदम पैरवी में खारिज आदेश दिनांक 9-7-10 को निरस्त कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु अना० क्र० 1 द्वारा धारा 35-(3) का आवेदन पत्र तह० के समक्ष प्रस्तुत किया गया तह० द्वारा धारा 35 (3) का आवेदन पत्र स्वीकार कर अपने आदेश दिनांक 27-11-10 से प्रकरण को पुनः नम्बर लिया जाकर प्रकरण सुनवाई में लिया गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-11-10 के विरुद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत निगरानी क्र० 202/अ-6अ/10-11 में यह आधार लेते हुए कि दिनांक 25-6-10 की सूचना के बाद दिनांक 9-7-10 की सूचना अना० क्र० 1 को नहीं दी गई थी जिसकी पुष्टि तह० की आदेश पत्रिका से होना बताया गया है। ऐसी दशा में बिना सूचना के अदम पैरवी में खारिज प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने संबंधी आदेश दिनांक	

क्र. प. उ.

R-9771/III/15 ... ...

स्थान तथा दिनांक	रामकला शर्मा कार्यवाही तथा आदेश गीता दुबे	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	27-11-10 को सही ठहराते हुए यथावत रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई है। अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30-11-15 के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त विवेचना एवं विचारोपरांत तह० द्वारा अदम पैरवी मे निरस्त प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने संबंधी आदेश दिनांक 27-11-10 विधि अनुकूल है, जिसे स्थिर रखने मे अपर कलेक्टर द्वारा कोई त्रुटि नही की गई है। ऐसी स्थिति मे तह० एवं अपर कलेक्टर के आक्षेपित आदेश से किसी पक्ष के हित अनुचित रूप से भी प्रभावित नही हुए है क्योंकि तह० के समक्ष उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है जहाँ वे अपना पक्ष समर्थन कर सकते है। परिणाम स्वरूप प्रकरण मे ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। आदेश की प्रति अधी० न्याया० को भेजी जावे। पक्षकार सूचित हो। प्र०दा०रि०हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	